उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 585 /पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पॉच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 फरहा खान, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 08-10-2012 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 फरहा खान का पी0जी0 कोर्स (बालरोग विशेषज्ञ) में चयन हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 फरहा खान चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (बालरोग विशेषज्ञ) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 19-09-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2- प्रकरण में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/ए/731/2012/2295, दिनांक 25-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई। महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-30/2017/454/पॉच-8-2017-जी(315)/2016, दिनांक 23-01-2017 द्वारा डा0 फरहा खान, चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (बालरोग विशेषज्ञ) पूर्ण करने के उपरान्त जिला चिकित्सालय, अलीगढ में पुन: सेवा में योगदान कराये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मलखान सिंह, जिला चिकित्सालय, अलीगढ के पत्र संख्या-सी0एम0एस0/2017/190, दिनांक 27-01-2017 द्वारा बालरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त न होने का उल्लेख कर तत्समय डा0 फरहा खान, चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया।

3- डा0 फरहा खान, चिकित्साधिकारी के पुन: प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 28-01-2017 तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मलखान सिंह, जिला चिकित्सालय, अलीगढ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 27-01-2017 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तैनाती संशोधित कर सम्यक विचारोपरान्त डा0 फरहा खान चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

4- डा0 फरहा खान को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28-03-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

राम नगीना मौर्य

संयुक्त सचिव।

-2/---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 585 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ मण्डल अलीगढ ।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, अलीग्ढ।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ।

7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ ।

8- संबंधित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि क्रपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।